


तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

30 <sup>3</sup>/<sub>2024</sub>


पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2018 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम मालनगर पटवार हल्का आगवाडी स्थित खसरा नम्बर 338 रकबा 0.27 है० वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

**आदेश**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मालनगर पटवार हल्का आगवाडी तह. नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 338 रकबा 0.27 है० की प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट 16.05.2018 के अनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

